

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 23/2021

तारीख दायर:-01.04.2021

पीठासीन अधिकारी:-गोपाललाल स्वर्णकार, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

बनाम

-प्रार्थी

श्री शोलेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापत, मैसर्स श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, बोहरा बावडी मज्जिद के पास, छोटीसादडी

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 15/09/2021



शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 88 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड खोआ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया।


न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.11.2020 को 12.10 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै 0 श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, बोहरा बावडी मज्जिद के पास छोटीसादडी

पहुँचा अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम शेलेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापत होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र मांगा गया जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर एक कढ़ाई में 20 किलो खोआ आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें अंदेशा होने पर उस कढ़ाई में से 1 किलो खोआ वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उनकी कीमत 240 रु विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खोआ को चार कांच के जार में बराबर-बराबर मात्रा डाला एवं प्रत्येक बोतल में फार्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर जारों को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाये तथा जारे पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-1192 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्यसुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई-1192 नियमानुसार चारो नमूना जारों को नियमानुसार सील चपड़ी किया एवं प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्यसुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं 6 की पुस्त पर है।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेशन पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खोआ का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री शेलेन्द्र कुमार प्रजापत को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा खोआ आस-पास के गांवों से क्रय किया जाकर मिठाई बनाने के उपयोग में लिया जाता है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण की कार्यवाही निरस्त कराने बाबत निवेदन किया ।


परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एक्ट/2020/361 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा खोआ का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के यहां उपलब्ध कुल माल 20 किलो की कुल कीमत 4800 की दोगुना शास्ति अर्थात् (20X240X2)=9600/-रु अक्षरे नौ हजार छः सौ

रु अप्रार्थी पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 15.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया।


(गोपाललाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
दिनांक 15.09.2021

क्रमांक/रीडर/2021/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अप्रार्थी श्री शेलेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री मांगीलाल प्रजापत, मैसर्स श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, बोहरा बावडी मज्जिद के पास, छोटीसादडी


(गोपाललाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़